भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6223

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति

6223. श्री छोटेलाल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र सहित रॉबर्ट्सगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों, जहां वर्तमान में अनियमित और अनिश्चित विद्युत आपूर्ति हो रही है, में कब तक नियमित और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(i) विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण, वितरण यूटिलिटी के दायरे में आता है, जो अपने संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं।

(ii) इसके अलावा, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। तथापि, आयोग कृषि जैसे कुछ उपभोक्ता वर्गों के लिए आपूर्ति के घंटे कम कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोनभद्र क्षेत्र सहित रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। विवरण निम्नानुसार है:

यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति (घंटों में)
शहरी क्षेत्र	24:00
तहसील क्षेत्र	21:30
ग्रामीण क्षेत्र	18:00

(iii) भारत सरकार ने पहले 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में जुलाई 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विद्युत तक पहुंच प्रदान करने में राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान की है।

(iv) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद जनगणना गांवों में 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीडीजीजेवाई योजना के तहत और उसके बाद सौभाग्य योजना के तहत, सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया था। ये दोनों स्कीम 31.03.2022 को बंद हो गईं।

(v) आरडीएसएस के तहत, देश भर में हानि न्यूनीकरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 40,739 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 21,782 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 18,956 करोड़ रुपये शामिल हैं। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए, हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 227.78 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 183.37 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

(vi) स्वीकृत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों में सबस्टेशनों का उन्नयन और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) की स्थापना, डीटी का उन्नयन, पुराने कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, फीडर का विभाजन और पृथक्करण, नेटवर्क सुदृढ़ीकरण और केबलिंग कार्य शामिल हैं।

(vii) उपर्युक्त कार्यों के पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस स्कीम की समाप्ति तिथि 31.03.2028 है।

****